SUSHIL

Page No. 1

Experiment No. .....

Date .....

प्रश्न – ईगले का सामाजिक भूमिका सिद्धान्त का वर्णन करो।

उत्तर – हमारे भारतीय समाज में इस लिंग विभेद के आधार पर ही विभिन्नता पाई जाती है, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न है। जितनी स्वतन्त्रता या सुविचार पुरुषों को प्राप्त है उतनी स्त्रियों को उपलब्ध नहीं है या जो प्रतिष्ठा परिवार के मुखिया को प्राप्त है वह परिवार की गृहस्वामिनी को नहीं है। लिंग भेद सिद्धान्त के विषय में ईगले ने अपना सिद्धान्त इस प्रकार प्रस्तुत किया –

एलिस. एच. ईगले का जन्म सन् 1938 में हुआ तथा ये नार्थ वेस्ट विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान तथा प्रबन्धन के प्रोफेसर थे सबसे पहले उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान किए उसके बाद व्यक्तित्व तथा औद्योगिक प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य किया। इन्होंने केवल लिंग विभेद पर ही कार्य नहीं किया बल्कि इन्होंने पूर्वाग्रहों तथा रूढ़ियों आदि जैसे – जटिल विषयों पर भी कार्य किया।

लड़के तथा लड़कियों में क्यों अन्तर होता है Alice H. Eagly ने अपनी थ्योरी में बताया कि सांस्कृतिक तथा सामाजिक मानक लड़कियों तथा लड़कों में विभेद उत्पन्न करने में सहायक होते हैं क्यों लड़कियाँ गुड़ियों से खेलना पसन्द करती हैं तथा लड़के कार इक से। क्योंकी छोटी लड़कियाँ खेलते हुए बहनें बनती हैं

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

SUSHIL

Experiment No. .....

Page No. 2

Date .....

जब लड़के शारीरिक खेलों जैसे – क्रिकेट, हॉकी आदि खेलते हुए आनन्द का अनुभव करते हैं तथा इस अन्तर का कारण लिंग है तथा इस लिंग विभेद हेतु अनुसन्धान हुए जिसके फलस्वरूप इंगले का सामाजिक भूमिका सिद्धान्त का उदय हुआ।

लड़के लड़कियों के सामाजिक व्यवहार में क्यों अन्तर होता है इसके लिए इंगले महोदय कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार के व्यवहार में अन्तर जो सामान्यतः स्त्री पुरुषों में पाया जाता है वह सांस्कृतिक रूढ़ियुक्तियों का परिणाम है जिसके कारण लिंगविभेद तथा युवाओं में पाए जाने वाला सामाजिक व्यवहार है। अपने सिद्धान्त के विश्लेषण स्वरूप इंगले ने कहा कि बहुत सारे अध्ययनों के बाद ये तथ्य निकले हैं कि लड़के – लड़कियों में मुख्यतः 5 अन्तर पाये जाते हैं –

1. लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा समूह दबाव ज्यादा बेहतरी से महसूस करती हैं।
2. लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अशाब्दिक संचनाएँ भेजने तथा ग्रहण अच्छी तरह से करती हैं।
3. लड़कियाँ मित्रतापूर्वक व्यवहार अच्छी तरह से करती हैं तथा दूसरे छोटे समूह के सदस्यों के साथ भी अच्छा महसूस करती हैं।
4. लड़के अपने कार्य स्थल समूह में अनुशासित रूप से कार्य केन्द्रित होते हैं।
5. सम्पूर्ण स्त्री समूह पुरुष समूहों की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन करती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

6. आदमी या लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा नेतृत्व शैली का गुण अधिक पाया जाता है।

7. किसी अजनबी से छोटी सी मुलाकात होने पर उसकी सहायता कर देते हैं जबकि लड़कियाँ ऐसा नहीं करती।

8. लड़के लड़कियों की अपेक्षा दूसरों पर अधिक आक्रमकता का व्यवहार करते हैं।

9. लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक सजीवता से जीवन सन्तुष्टि महसूस करती हैं।

यह सिद्धान्त पूर्णता सामाजिक (जीवन) मनोविज्ञान पर आधारित है। जो कि लिंग विभेद तथा समानता दोनों को ही सामाजिक व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश करती है तथा इनका मानना है कि स्त्री पुरुष दोनों के ही विभेद तथा सम्भेद स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही अलग-अलग दिखाई देते हैं प्रारम्भ से ही देखा गया कि स्त्री घर में बच्चों की देखभाल तथा खाना बनाती है जबकि पुरुष उनके लिए रोटी का इन्तजाम करता है इसी तरह से देखा गया कि पुरुष व स्त्री के कार्य स्थल भी अलग-अलग बँटे हैं। स्त्री ज्यादातर नर्सिंग व शिक्षण जॉब करती हैं जबकि निर्माण और इन्जीनियरिंग दोनों ही कार्य क्षेत्र पुरुषों के हैं।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रश्न - भारतीय समाज में स्त्रियों एवं बालिकाओं की समस्याएँ व उनको दूर करने के उपाय।

उत्तर - भूमिका - भारतीय समाज में प्राचीन काल के वैदिक काल को यदि छोड़कर बात की जाए तो उसके पश्चात विशेषतर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ ही भारतीय समाज में निरंतर स्त्रियों/बालिकाओं के समक्ष कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुई जिसने उनके मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास को प्रभावित किया। स्वतंत्रता के पश्चात यद्यपि इन समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए फिर भी कई प्रकार की समस्याएँ आज भी विद्यमान है। इन प्रमुख समस्याओं का वर्णन निम्नलिखित है -

1. दहेज प्रथा - भारतीय समाज में विवाह के समय वित्तीय विनिमय का एक सामान्य तथ्य है। यद्यपि भारत सरकार ने इसके रोकथाम के लिए कानून का निर्माण किया है। इसके बावजूद विशेषतर दहेज की माँग बढ़ती जा रही है। दहेज की कमी के कारण स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार, असम्मान, जला देना, समय पर इलाज न करना आदि प्रकार की क्रूरता की जाती है। ये समस्याएँ समाज में बालिकाओं स्त्रियों की गिरावट का द्योतक है।

2. घरेलू हिंसा - भारतीय समाज में बालिकाओं के साथ घरेलू हिंसा एक सामान्य बात है। लगभग 60-70% स्त्रियाँ घरेलू हिंसा से पीड़ित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में बड़े पैमाने पर स्त्रियों के साथ घरेलू हिंसा होती है। ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक तीन मिनट पर महिला के साथ क्रूरता की जाती है। लगभग हर तीस मिनट पर उनके साथ बलात्कार तथा 77 मिनट पर दहेज हत्या होती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

3) शिक्षा मे असमानता - शिक्षा एक अन्य ऐसा क्षेत्र है जिसमे बालिकाओं के साथ सर्वाधिक भेदभाव होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है जो पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% की तुलना मे 16.68% कम है। ग्रामीण क्षेत्रों मे यह अन्तर अधिक पाया जाता है।

4) बाल-विवाह - बहुत से लोग दहेज से बचने या कम देने के लिए लड़कियों का बाल-विवाह कर देते है। ग्रामीण भारत मे लगभग 60% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पूर्व ही कर दिया जाता है तथा 56% लड़किया 19 वर्ष से पूर्व ही माँ बन जाती है। इससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास ~~होता है~~ प्रभावित होता है।

5) यौन उत्पीड़न - भारत यौन शोषण के सभी रूपों का बहुत ही गंदा रिकार्ड रखने वाले देशों मे सम्मिलित है। स्त्रियाँ और बच्चियाँ घरो मे, सड़को पर, सार्वजनिक परिवहन मे, यहा तक कि छुट्टियाँ मनाने वाले स्थानो पर भी सुरक्षित नही है। ये एक प्रकार से नैतिक मूल्यों मे गिरावट है। इससे स्त्रियो को मानसिक एवं भावनात्मक आघात पहुँचता है और कई बार वे अवसाद, निराशा तथा अन्य मानसिक बीमारियो का शिकार हो जाती है।

6) अपर्याप्त पोषण - भारतीय लड़कियाँ सर्वाधिक कुपोषण का शिकार है, विशेषकर निम्न एवं मध्यम वर्ग मे। ऐसा परिवारो की निम्न आय के कारण होता है। ऐसे मे माता-पिता लड़कियो की तुलना मे लड़को को दूध, फल एवं अन्य सुविधाएं तो प्रदान करते है परन्तु लड़कियो की अनदेखी करते है। कुपोषण के कारण बहुत सी महिलाएं मातृत्व के समय अपने प्राण त्याग देती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

7) सम्पति का अधिकार – देश के कानून की अनदेखी करते हुए बहुत से परिवार पैतृक सम्पति में लड़कियों के विवाह के समय दिए दहेज को इसका प्रमुख कारण बताते हैं। विभिन्न धर्मों में पैतृक सम्पति से सम्बन्धित अलग-अलग प्रावधान है। यद्यपि अब स्थितियाँ बदलने लगी है, माता-पिता वसीयत या कानूनी प्रावधानों का उपयोग सम्पति में लड़कियों के अधिकार देने के लिए करने लगे हैं।

8) विधवाओं की दयनीय स्थिति – भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय रहती है। हमारी संस्कृति परम्परा में शुभ कार्य के लिए विधवाओं को अशुभ माना जाता है। उन्हें पहनने के लिए सफेद वस्त्र दिए जाते हैं तथा खाने के लिए उचित भोजन भी नहीं प्रदान किया जाता। वृन्दावन एवं वाराणसी जैसे धार्मिक स्थानों पर उनकी दयनीय स्थिति को देखा जा सकता है।

स्त्रियों एवं बालिकाओं की समस्याओं को दूर करने के उपाय

1. लड़कियों को स्कूलों में बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाना – पानी, साफ-सफाई एवं लड़कियों की देख-रेख सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करके विभिन्न प्रकार की असामाजिक असमानताओं को नियन्त्रित किया जा सकता है। विभिन्न आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके लड़कियों को शैक्षिक उपलब्धि प्रदान की जा सकती है।

2. शिक्षा स्तर में वृद्धि करके – महिलाओं के शिक्षा स्तर में सुधार करके इनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इनके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम एवं समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि इस उपाय को अपनाया जाए तो भेदभाव मुक्त स्कूल व्यवस्था प्रदान की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

3. समान अवसर प्रदान करके – शिक्षा के क्षेत्र में लड़के-लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि लड़कियों को समान अवसर प्रदान किया जाए तो वे अपने जीवन को समृद्ध एवं विकसित कर सकती हैं। इसलिए लड़कियों को पाठ्यक्रम एवं विभिन्न शैक्षिक क्रियाएँ लड़कों के समान ही होने चाहिए।

4) महिला सशक्तीकरण का समर्थन – महिला सशक्तीकरण का समर्थन इस प्रकार किया जाए कि सम्पूर्ण महिलाएं अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकें। महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक संसाधनों तक पुरुषों के समान इनकी भी पहुँच होना चाहिए।

5) स्कूलों में पूर्ण सरकारी सहायता प्रदान करके – वर्तमान समय में स्कूलों में अनेक सरकारी योजनाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जैसे – सर्व शिक्षा अभियान R.T.E. आदि योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। वे इन योजनाओं के द्वारा स्कूलों में पूर्ण सहभागिता प्रदान की जानी चाहिए। लड़कियों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है उसका सुचारु से पालन होना चाहिए।

6) सामाजिक एकता – सामाजिक एकता के लिए समाज को बदलने की आवश्यकता है। सामाजिक एकीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक लैंगिक असमानता है। इसलिए सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए लैंगिक असमानता खत्म करने की आवश्यकता है।

7) विद्यालयी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करके – लड़कियों को विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्हें यह बताना है कि उन्हें भी लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वे वहाँ पढ़ने के साथ-साथ अन्य समुदायों के लड़के-लड़कियों के साथ बातचीत भी कर सकती हैं।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

SUSHIL

Experiment No. .... Page No. 1

Date ....

प्रश्न – विचार-विमर्श विधि से क्या अभिप्राय है? इसकी प्रक्रिया, विशेषताओं, गुणों तथा अवगुणों की विवेचना कीजिए।

उत्तर – भूमिका – शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। इसलिए शिक्षण विधि को प्रभावी, उपयोगी एवं स्थायी बनाने के लिए विद्यार्थियों में वाद-विवाद करने की क्षमता और सक्रिय सहयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें विचारों का आदान-प्रदान होता है और समस्या के लिए बहुमत से समाधान ज्ञात किया जाता है। इस विधि में अध्यापक तथा विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी को स्वतन्त्र चिन्तन तथा अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है।

जेम्स. एम. ली. ने लिखा है "विचार विमर्श एक ऐसी सामूहिक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं।"

सामूहिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया –

इस विधि के अन्तर्गत समूह के सदस्य आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। समस्या के समाधान के लिए सम्बन्धित सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए शिक्षण कार्य के लिए वार्ता-विधि का प्रयोग करने में निम्नलिखित पदों का ध्यान में रखना होगा –

1 समस्या की प्रस्तुति – वाद विवाद/विचार विमर्श के

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

के लिए समस्या दोनों (अध्यापक या विद्यार्थी) की तरफ से प्रस्तुत की जाती है। लेकिन अध्यापक अपनी समस्या को प्रस्तुतीकरण सामाजिक अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विशेष समस्या या प्रकरण को विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत करता है।

2. विद्यार्थियों द्वारा विचार-विमर्श से पहले की जाने वाली तैयारी - विद्यार्थियों को जिस विषय पर विचार-विमर्श करने का आयोजन किया जाना है, उस विषय से संबंधित आवश्यक स्रोतों एवं साधनों की सहायता से अपने आपको इसके लिए तैयार रहने का प्रयास करते हैं। इसके साथ-साथ अध्यापक को सामग्री पूरी सावधानीपूर्वक तैयार करनी चाहिए। विद्यार्थी विचार विमर्श विषय से सम्बन्धित तैयारी के लिए पुस्तकालय में उपलब्ध अन्य सामग्री की मदद लेते हैं साथ ही अनुभवी व्यक्तियों से सलाह भी लेते हैं। आवश्यक सूचनाएँ आँकड़ों, तथा सामग्री का संग्रह करके विचार-विमर्श के लिए अपने आपको तैयार करने की कोशिश करते हैं।

3. संचालन - विचार-विमर्श के संचालन में अनुशासन का ध्यान रखना होता है। विचार विमर्श की व्यवस्था में बैठने के लिए विद्यार्थियों की विचारधारा जान लेना आवश्यक है। जिसके द्वारा प्रत्येक विचार की प्रगति में योगदान मिले

SUSHIL

Experiment No. ....

Page No. 3

Date ....

सके। अध्यापक को इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उसे गम्भीर प्रश्नों एवं टिप्पणियों को विशेष रूप से प्रेरित करना चाहिए। विचार-विमर्श का विषय विशिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि एवं उचित कौशलों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसके लिए कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए—

1. इस प्रकार के विचार-विमर्श में केवल व्याख्यान पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि अध्यापक को अन्य गतिविधियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

2. विचार विमर्श प्रणाली में अध्यापक को स्वयं अधिक बोलना चाहिए न ही अन्य सदस्यों पर राय जानने के लिए उन पर प्रश्न थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों द्वारा अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर विचार-विमर्श में भाग लिया जाना चाहिए तथा उपयुक्त विचार-विमर्श द्वारा अध्यापक की सहायता से विषय-वस्तु तथा समस्या के बारे में निष्कर्ष निकालने चाहिए।

3. विद्यार्थियों को चाहिए कि वे एक-दूसरे के विचार धैर्यपूर्वक सुने और वाद-विवाद में किसी प्रकार की सहमति या संशय है तो उसे तर्क रखकर व पूर्ण संयम, सावधानी से

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

SUSHIL

Page No. 4

Experiment No. .....

Date .....

विचार करने की कोशिश करें। विचार-विमर्श करते समय किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे।

4. विचार विमर्श के बीच किसी महत्वपूर्ण बिन्दु पर मतभेद होने पर अध्यापक को उन्हें ठीक निर्णय पर पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस कार्य के लिए उन्हीं में से कुछ अनुभवी व्यक्तियों की समिति बनाई जाए जिससे किसी विचार विवाद पर उपयुक्त सलाह देकर समझा सके।

विचार-विमर्श के बाद कार्य — विचार-विमर्श के आयोजन के बाद जो भी विचार रखे गए हैं उनका निष्कर्ष निकालकर आवश्यक पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है। यह कार्य अध्यापक करता है साथ ही सभी प्रकार के निवारण अध्यापक द्वारा किये जाते हैं। इस पद में अध्यापक को पूरे विचार विमर्श विषय के सार को निकालने एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों को जोड़ने का अधिकार होता है।

मूल्यांकन — विचार विमर्श का परिणाम कई उपलब्धियों में निकलना चाहिए को आगे लेने से प्रत्येक सदस्य को कितना लाभ हुआ इसका मूल्यांकन ठीक तरह से करना चाहिए। इससे उनके ज्ञान, रुचियों व अभिवृत्तियों में कितना परिवर्तन आया और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सहायता मिली इसके आधार पर ही विचार-विमर्श की सफलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। विधि

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

SUSHIL

Experiment No. ....

Date ....

विचार-विमर्श विधि की विशेषताएं एवं प्रकृति -

1. समस्याओं का समाधान
2. सम्बन्धों का विचारपूर्वक चिन्तन
3. विषय तथ्यों को संगठित एवं सम्बन्धित करना
4. अनुभवों का विकास व उपयोग।
5. मतों का विनिमय
6. सहमति
7. सिद्धान्तों पर आधारित
8. सक्रियता एवं वार्तालाप
9. संरचना
10. प्रतियोगात्मक सहयोग।

विचार विमर्श के गुण

1. बौद्धिक टोली कार्य
2. अज्ञात की खोज
3. मानसिक शक्तियों के विकास में सहा
4. सहनशीलता का विकास
5. अच्छे गुणों एवं आदतों के विकास में सहायक
6. सामूहिक अधिगम के निर्णय लेना।
7. भविष्य से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों में सहायक
8. स्पष्टीकरण
9. मनोवैज्ञानिक विधि।
10. लचीली विधि
11. ज्ञान व चिन्तन का विकास
12. वास्तविक जीवन में रहने की प्रेरणा देना।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

दोष :—

1. देश की वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयुक्त
2. सेकण्डरी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं।
3. गुटबन्दी
4. समय और शक्ति का अपव्यय
5. एकाधिकारीकरण
6. कुशल अध्यापकों की कमी।

निष्कर्ष :— उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस विधि में अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना वाद-विवाद का आयोजन नहीं किया जा सकता। अध्यापक वाद-विवाद करने वाले छात्रों के समूह का चेता होता है। वह ही वाद-विवाद को शुरू आरम्भ करवाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाद विवाद विधि की सफलता बहुत सीमा तक अध्यापक पर निर्भर करती है। केवल चालाक सोचने पूर्ण, कल्पना शक्ति वाले योग्य अध्यापक ही वाद-विवाद का सही मार्ग दर्शन कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

SUSHIL

Page No. 1

Experiment No. .....

Date .....

प्रश्न - लेखन कौशल का अर्थ व उद्देश्यों का वर्णन करो।

उत्तर - लेखन कौशल का अर्थ -

लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने विचारों तथा भावों को लिखित रूप में व्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भाषा को लिखित रूप में अपनाता है तथा अपने भावों तथा विचारों को स्थायित्व प्रदान करता है। मौखिक भाषा के शिक्षण में विद्यार्थियों को उचित गति, विराम आदि का उचित प्रयोग करके शुद्ध भाषा को बोलना सिखाया जाता है। लेकिन लेखन - कौशल के शिक्षण में बच्चों को पहले अक्षर चिह्नों की सुन्दर बनावट सिखाई जाती है। उसके पश्चात उनको शुद्ध भाषा में लेखन कार्य दिया जाता है यह एक कटु सत्य है कि जब तक बच्चे को लिखना नहीं आता तो उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं होता। अतः बच्चों के लिए लिपि ज्ञान नितांत आवश्यक है।

लेखन कौशल का महत्व -

1. आज हमारा जीवन अत्यधिक व्यापक हो चुका है लेकिन मौखिक भाषा के द्वारा ही जीवन के सारे कार्य सम्भव नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लेखन कौशल की आवश्यकता अनुभव की जाती है। कार्यालयों में परस्पर कार्य व्यापार करते समय दूरस्थ व्यक्ति संदेश देने अथवा उसे अपने विचारों से अवगत करवाने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

SUSHIL

Page No. 2

Experiment No. .....

Date .....

(ii) अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने विचारों को लिखकर सदियों तक सुरक्षित रख सकते हैं।

(iii) दैनिक जीवन में कदम-कदम पर लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अपने घर के हिसाब-किताब को रखने के लिए, व्यापारिक एवं निजी पत्र लिखने के लिए, बैंक में पैसा जमा करने व निकलवाने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है।

(iv) आधुनिक युग में ज्ञान का विस्फोट हो चुका है फलस्वरूप विद्यार्थियों को अनेक विषय पढ़ने पड़ते हैं। विद्यालय तथा महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों की पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं। इन पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ने से विद्यार्थी का काम नहीं चलता। उसे विभिन्न पुस्तकों को पढ़कर महत्वपूर्ण सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है और नोट्स बनाने पड़ते हैं। उन्हें परीक्षा देते समय लिखित भाषा में उत्तर देने पड़ते हैं इसलिए लिखित भाषा का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।

(v) सभी सरकारी कार्यालयों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है कार्यालयों तथा न्यायालयों के रिकार्ड निर्णय, नीतियाँ तथा नियम लिखित भाषा में ही होते हैं जो व्यक्ति लिखित भाषा में पारंगत नहीं होता, वह सरकारी नौकरी में उन्नति नहीं कर सकता।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

vi) लिखित भाषा विद्यार्थी के हाथ तथा मस्तिष्क में सन्तुलन उत्पन्न करती है। यह भाषा में मधुरता लाती है।

vii) लिखित भाषा के माध्यम से ही देश-विदेश के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं।

viii) लेखन-कौशल साहित्यिक रचनाओं का आधार है लिपि के अभाव में हम प्राचीन साहित्य को नहीं पढ़ सकते थे। अतः लेखन-कौशल के द्वारा नई-नई रचनाएँ लिखी जा रही हैं।

लेखन कौशल के उद्देश्य —

लेखन कौशल के महत्व के सन्दर्भ में निम्न उद्देश्यों की चर्चा की जा सकती है।

(1) वर्णों की ठीक और सुन्दर बनावट लिखना सिखाना।
(2) सुन्दर तथा सुडौल लेख का अभ्यास करवाना।
(3) शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना।
(4) धातु को वाक्य-रचना के नियमों से अवगत कराना।
(5) विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की शिक्षा देना।
(6) विद्यार्थियों में शब्द के विभिन्न रूपों जैसे मुहावरे लोकोक्तियों तथा प्रसंगानुकूल प्रयोग करने की शिक्षा देना।
(7) विद्यार्थियों में तार्किक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान करना।
(8) विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने विचारों या भावों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(9) साहित्य के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना।

(10) स्पष्ट और साफ-साफ लिखने की आदत डालना।

(11) छात्रों में यह आदत डालना कि वे सावधानीपूर्वक लिखने की आदत डालें।

अध्यापक को उपर्युक्त उद्देश्यों के आधार पर लेखन कौशल का आयोजन करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सर्वप्रथम अक्षरों को लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अध्यापक इस बात का प्रयास करें कि बच्चों द्वारा लिखे गए सुन्दर अक्षरों हों। तत्पश्चात उन्हें शब्दों, वाक्यों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेखन कौशल का प्रारम्भ भले ही प्राथमिक कक्षाओं से हो परन्तु ये आजीवन काम आता है। यदि आरम्भ से ही बच्चा सुन्दर और कलात्मक अक्षर लिखना सीख लेता है तो उसका हस्तलेख बड़ा ही प्रभावशाली होगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner